

## EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the

Oct,  
Sept., 2017.

## ALL CONCERNED

Sub: Recruitment of sportspersons against Sports Quota through Talent Scouting and Open Advertisement – clarification thereof.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy dated 11/08/2017 (RBE No. 94/2017 – Clarification/Corrigendum No. 82) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copies of Railway Board's earlier letters dated 21/12/2010; 18/04/2012; 17/01/2014 and 04/01/2016, as referred in Board's present letter, were communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 05/11; 59/12; 13/14 & 28/16.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

(S. Chakraborty)

Sr. Personnel Officer/ BGB  
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy dated 11/08/2017 (RBE No. 94/2017 – Clarification/Corrigendum No. 82) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

**विषय:** Recruitment of sportspersons against Sports Quota through Talent Scouting and Open Advertisement- clarification regarding.

**संदर्भ:** Board's letters nos. (i) 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010), No. 2012/E(Sports)/4(1)/1/ Policy Clarifications dated 18.04.2012 (RBE No. 52/2012), No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 17.01.2014 (RBE No. 10/2014) and No. 2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy dated 04.01.2016 (RBE No. 08/2016).

Railway Board vide letter No. 2013/E(Sports)/4(1)/2/Policy dated 04.01.2016 has restored the previous provisions of policy to treat all team members at par in team games for the purpose of recruitment against sports quota and for granting incentives/OTPs and delete following Para of the policy:-

Letter No.	Date	Para No.
2012/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarification	18.04.2012	4.1(m) Notes (New Para)- For recruitment against sports quota

After deletion of above para in Board's letters dated 18.04.2012 there is no validity of Board's letter dated 17.01.2014. As such Board's letter No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 17.01.2014 (RBE No. 10/2014) may also be treated as cancelled.

(Bhaskar Roy Choudhury)  
Dy. Director, Estt.(Sports)

107/2017

सं. को. जी. र. स्. टी. / र. स्. टी. र. स्. टी. / को. जी. र. स्. टी.

कालकाता, दिनांक

10.2017

सर्व संबंधित,

विषय: टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत

खिलाडियों की भर्ती के संबंध में स्पष्टीकरण।

विषयगत मामले पर रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2/पॉलिसी दिनांक 11.08.2017 (आर बी ई सं. 94/2017-स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं-82) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जाती है।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि बोर्ड के वर्तमान पत्र में यथा उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 21.12.2010, 18.04.2012, 17.01.2014 तथा 04.01.2016 की प्रतिलिपि मुकाधि/कोलकाता के क्रम सं. 05/11, 59/12, 13/14 एवं 28/16 के तहत सर्वसंबंधित को प्रेषित किए गए थे।

उपर्युक्त पत्र सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अद्यसारित की जाती है।

**एस. चक्रवर्ती**  
(एस. चक्रवर्ती)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/बीजीबी

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक(कार्मिक) एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2013/ई (स्पोर्ट्स) /4 (1)/2/पॉलिसी दिनांक 11.08.2017 (आर बी ई सं. 94/2017-स्पष्टीकरण/ शुद्धिपत्र सं-82)

**विषय:** टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत खिलाडियों की भर्ती के संबंध में स्पष्टीकरण।

**संदर्भ:** बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)(आरबीई सं. 189बी/2010) 18.04.2012 का पत्र सं. 2012/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स (आरबीई सं. 52/2012), 17.01.2014 का पत्र सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स (आरबीई सं. 10/2014) और 04.01.2016 का पत्र सं. 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2 पॉलिसी (आरबीई सं. 08/2016).

रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 04.01.2016 के पत्र सं. 2013/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2/पॉलिसी के तहत खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के प्रयोजन से और प्रोत्साहन/ओटीपी प्रदान करने और नीति के निम्नलिखित पैरा को हटाने के लिए टीम खेलों में टीम के सभी सदस्यों को बराबर समझने संबंधी नीति के पिछले प्रावधानों को पुनः लागू किया है:-

पत्र सं.	तारीख	पैरा सं.
2012/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन	18.04.2012	4.1 (एम) नोट्स (नया पैरा) - खेल-कूद कोटे के तहत भर्ती करने के लिए

बोर्ड के दिनांक 18.04.2012 के पत्रों में उपर्युक्त पैरा को हटाने के बाद बोर्ड का दिनांक 17.01.2014 का पत्र वैध नहीं है। अतः बोर्ड के 17.01.2014 के पत्र सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी क्लेरिफिकेशन्स (आरबीई सं. 10/2014) को भी रद्द माना जाए।

**(भास्कर राय चौधरी)**  
उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)